

दिनांक 19/12/2023 को पेश ही। पेश किया।

54

19/12/2023

फावली पेश हुई। वकील आर्षी अनुपरिचित हैं। आर्षीगण स्वयं
नी अनुपरिचित हैं। फावली अवलोकन पर पामा गया कि आर्षी
आर्षी की ओर से अधिवक्ता की शिव चरख चौधरी द्वारा
मूल फावली में पूर्व पेशी पर वकालत नामा पेश किया जा चुका है
वकील आर्षी द्वारा फावली में निवेदन किया गया कि फावली
की एजि दिनांक 28/9/2022 से आज दिनांक तक वादी
अधिवक्ता द्वारा तलबी आर्षीगण पूर्ण नहीं करायी हो
ना ही वादी अधिवक्ता या वादीगण स्वयं उपरिचित होते हैं।
पूर्व में भी वकील वादी तथा वादीगण अनुपरिचित थे।
अतः वह पत्र से स्वयं खारीज किया जावे। फावली का
अवलोकन पर वकील आर्षी के कथन सही पाये गये।
वकील आर्षी तथा आर्षीगण स्वयं अनुपरिचित हैं। इनकी
ओर से कोई वकील भी उपरिचित नहीं है। बारबार आवजि
लगवाई गई। परन्तु न्यायालय सममतक कोई भी उपरिचित
नहीं है। अतः राजस्व आर्षीना पत्र अदम हाजरी-
अदम पेशी में खारीज किया जाता है। फावली फौजल
शुमार हो। नम्बर से कम होकर वाजिल हफ्तर हो।

SDO, BHANAR
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)